बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
<u>कार्यालय आदेश</u>

का0आ0सं0–1/अ0प्र0–1–49/2015 — 230 /पटना, दिनांक 25/11/2020

श्री मनीष रंजन, पुत्र स्व० महेन्द्र प्रसाद रजक, प्रशाखा पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–23.02.2016 को आयोजित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही के क्रमांक–3 की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–5958 दिनांक–25.04.2012 के तहत अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर वेतनमान PB-1 (5200–20200) ग्रेड पे 1900/– के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना में पे मैट्रिक्स लेवल–2 (19900–63200) में सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री मनीष रंजन को अपनी नियुक्ति के पश्चात स्व० महेन्द्र प्रसाद रजक, प्रशाखा पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के परिवार/आश्रितों का भरण पोषण करना होगा तथा उन्हें इस आशय का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा कि यदि वे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते है तो इसे कदाचार माना जायेगा तथा इसके नियुक्ति आदेश को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी अथवा उसके देय उपलब्धियों का एक निश्चित अंश मृत सरकारी सेवक स्व० महेन्द्र प्रसाद रजक, प्रशाखा पदाधिकारी के परिवार/आश्रितों को देने का आदेश दिया जायेगा।

3. यह नियुक्ति अस्थाई/औपबंधिक है जो कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

4. औपबंधिक पद धारक द्वारा समर्पित किये गये तथ्य/सूचना/कागजात/प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन के क्रम में कोई त्रुटि अथवा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

7. योगदान के समय दहेज संबंधी घोषणा पत्र देना होगा।

8. योगदान करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. योगदान के पश्चात अंशदान की कटौती नयी अंशदायी पेंशन योजना के तहत की जायेगी।

10. पत्र निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर योगदान करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

25.11.20

(कृष्ण मोहन सिंह)
सरकार के उप सचिव

Dsk/sanjay sir tippani/office order

ज्ञापांक–1/ अ0प्र0–1–49/2015 5295 पटना, दिनांक 25/11/2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.20

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1/ अ0प्र0–1–49/2015 5295 पटना, दिनांक 25/11/2020

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.20

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1/ अ0प्र0–1–49/2015 5295 पटना, दिनांक 25/11/2020

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/ उप सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा 12–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, (दो प्रतियों में)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.20

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1/ अ0प्र0–1–49/2015 5295 पटना, दिनांक 25/11/2020

प्रतिलिपिः– श्री मनीष रंजन, पुत्र स्व० महेन्द्र प्रसाद रजक, **पत्राचार का पता**–4 सी0, सुप्रिया सर्वोतम अपॉर्टमेंट, एस0के0 पुरी, पो0–पाटलीपुत्रा, पटना–800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.20

सरकार के उप सचिव

Dsk/sanjay sir tippani/office order